न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/33

ब्रह्मानन्द शर्मा पुत्र श्री चौथमल आुय 65 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी बांसी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. दुर्गा पुत्र श्री रामनाथ आयु 80 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बांसी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. बालकिशन पुत्र श्री उच्छव लाल आयु 46 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बांसी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. भारत गौतम पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा आयु 46 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बांसी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. राजस्थान राजय सरकार जरिये तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 27.06.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.10.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बांसी तहसील नैनवा में खाता संख्या नया 366 में खसरा नम्बर 2312 रकबा 10 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि पर आने–जाने व ट्रेक्टर ट्रोली लाने ले जाने का रास्ता ग्राम भण्डेडा, रामगंज से बांसी जाने वाले आमरोड जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर निकला हुआ है । उस रास्ते में से खसरा नम्बर 2304 प्रतिवादी कम 03 के खातेदारी की भूमि के पश्चिमी कोने से

खसरा नम्बर 2303 गै0मु0 चाह के पूर्व कि तरफ होकर उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ कुए के पास होकर प्रार्थी के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2312 में पहुंचता है । यह रास्ता 12 फिट चौडा है इसी रास्ते में होकर प्रार्थी गाडी, बेल, ट्रेक्टर–ट्रोली व खेतीबाडी के पूरे सामान आदि लाता ले जाता है । यह रास्ता उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ निकला हुआ है जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट "क" में लाल रंग से दर्शाया गया है । उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम किया जावे ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इस आशय का आदेश पारित किया जावे कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित प्रार्थी के खातेदारी की भूमि पर आने–जाने के लिए खसरा नम्बर 2304 के पश्चिमी कोने से होकर खसरा नम्बर 2303 गै0मु0 चाह के सहारे पूर्व की आरे उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ नक्शा परिशिष्ट "क" में लाल रंग से दर्शाये गये रास्ते को राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावे ।

4. परीक्षण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रशासन गॉवों के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट बांसी में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 20.10.2021 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खाारिज कर दिया ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.10.2021 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने दस्तावेजी व मौके की वर्तमान स्थिति से विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्रशासन गॉवों के संग अभियान में निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.10.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी अपीलान्ट को दिनांक 14.09.2021 को नियत पेशी पर आगामी पेश दिनांक 20.10.2021 सुनवाई हेतु नियत की गई थी किन्तु प्रार्थी अपीलान्ट उस दिन अपने अभिभाषक के साथ उपस्थित हुआ तो पता चला कि आज पीठासीन अधिकारी न्यायालय में नहीं हैं । दिनांक 29.10.2021 को जानकारी करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी प्राप्त हुई जिस पर उसी दिनांक 29.10.2021 को ही नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया परन्तु प्रार्थी अपीलान्ट को नकल दिनांक 07.12.2021 को ही दी गई । नकल प्राप्त होते ही उक्त अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की

धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसे परीक्षण न्यायालय ने दर्ज कर नोटिस जारी किये । अप्रार्थी कम 1 व 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई । पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थी कम 02 एवं रिपोर्ट तहसील हेतु तारीख पेशी दिनांक 26.11.2020 नियत की गई इसके उपरान्त कोविड काल कारण न्यायालय बन्द रहे दिनांक 20.10.2021 को पत्रावली प्रशासन गॉवों के संग अभियान में ले जाकर निर्णित कर दी । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्रशासन गॉवों के संग अभियान में कैम्प कोर्ट में निर्णय पारित किया है । परीक्षण न्यायालय ने केवल तहसील रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय पारित किया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.10.2021 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2022 (1) पेज 179, आरआरटी 2022 (1) पेज 177, आरआरटी 2022 (1) पेज 196, आरआरटी 2022 (1) पेज 493 उद्वरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील विलम्ब से पेश की गई है । वादी अपीलान्ट परीक्षण न्यायालय में कैम्प कोर्ट में उपस्थित रहा है उनके परीक्षण न्यायालय की आदेशिका पर हस्ताक्षर हैं । तहसीलदार नैनवा की रिपोर्ट दिनांक 22.03.2021 के अनुसार खसरा नम्बर 2304 रकबा 0.16 हैक्टर भारत गौतम पि0 नरेन्द्र कुमार हिस्सा 14/15, राजू पुत्र अम्बाशंकर हिस्सा 1/15 कौम ब्राह्मण एवं खसरा नम्बर 2303 रकबा 0.03 हैक्टर गै0मु0 चाह गोकुल, पप्पू, राजेश वगै0 दुर्गा, बृजराज वगै0, बालकिशन पि0 उच्छबलाल वगै0 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । खसरा नम्बर 2303 गै0मु0 चाह में से रास्ता चाहा जा रहा है जो उपुयक्त नहीं होना अंकित किया है । प्रार्थी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में सभी सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.10.2021 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. परीक्षण न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वयं के खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 2312 रकबा 10 बिस्वा वाके ग्राम बांसी तहसील नैनवा में आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 2303 गै0मु0 चाह के पूर्व की तरफ होकर उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ कुए के पास होकर 12 फिट रास्ता कायम करने हेतु कथन किया । परीक्षण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया । अप्रार्थी कम 1 व 3 के विरूद्ध दिनांक 16.09.2020 को एकपक्षीय

कार्यवाही अमल में लायी गई । पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थी कम 02 एवं रिपोर्ट तहसीलदार नैनवा के लिए दिनांक 26.11.2021 नियत की गई । तत्पश्चात् दिनांक 20.10.2021 को प्रशासन गॉवों के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट बांसी में प्रकरण को रखते हुए अपीलाधीन निर्णय से निर्णित कर दिया । प्रशासन गॉवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट बांसी में प्रार्थी अपीलान्ट ब्रह्मानन्द उपस्थित हुआ है । परीक्षण न्यायालय की आदेशिका पर उनके उपस्थिति के हस्ताक्षर हैं ।

12. प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार नैनवा से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई । तहसीलदार नैनवा ने अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 22.03.2021 के बिन्दु संख्या 03 में कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 2303 गै0मु0 चाह में से रास्ता चाहा गया है जो उपयुक्त नहीं है अर्थात् तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी द्वारा परिशिष्ट "क" में लाल रंग से दर्शाए रास्ते को उपयुक्त नहीं माना है । प्रार्थी अपीलान्ट प्रशासन गॉवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट बांसी में उपस्थित रहे हैं । अपीलान्ट का यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता है कि उन्हें परीक्षण न्यायालय में कैम्प कोर्ट बांसी में सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है क्योंकि परीक्षण न्यायालय की आदेशिका में कैम्प कोर्ट बांसी में अपीलान्ट की उपस्थिति के हस्ताक्षर हैं तथा आदेशिका दिनांक 20.10.2021 के अनुसार नोटिस बाद तामील संलग्न होना कथन किया है । प्रार्थी उपस्थित हुए हैं । उभयपक्ष को सुना गया आदेशिका में अंकित है । इस प्रकार प्रार्थी को परीक्षण न्यायालय में कैम्प कोर्ट में सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2072–2075 जिसके अनुसार ग्राम बासी की आराजी खसरा नम्बर 2303 रकबा 0.03 हैक्टर गै0मु0 चाह प्रार्थी अपीलान्ट के अलावा अन्य सहखातेदार भी दर्ज हैं । जबकि पक्षकार केवल 03 खातेदारों को ही बनाया गया है । हमने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया । उपर्युक्त विवेचन के आधार पर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.10.2021 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 27.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा